

संख्या-1/436354/2026-III(2)/2026-32(एम०एल०ए०)/2022
ई० फाईल संख्या-57969

प्रेषक,
महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 29 सितम्बर, 2026

विषय: राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-खानपुर में 02 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिसके अंतर्गत मार्गों की कुल लम्बाई 2.250 कि०मी० एवं लागत ₹154.81 लाख है, के शासन द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹1,46,90,000/- (₹ एक करोड़ छियालीस लाख नव्वे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹10,000/- (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 02 कार्यों हेतु ₹20,000/- (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	धनराशि (₹ लाख में) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-खानपुर में ढढेरा लिंक रोड महाराणा प्रताप कॉलेज के गेट से डिफेंस कॉलोनी को जोड़ते हुए चौ० चरण सिंह चौक तक एस०डी०वी०सी० द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य(विस्तृत आगणन) (EDPR-11463)।	1.250	55.14	0.10
2.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र-खानपुर में ढढेरा लिंक रोड महाराणा प्रताप कॉलेज के गेट से डिफेंस कॉलोनी को जोड़ते हुए चौ० चरण सिंह चौक तक पक्का आर०सी०मी० नाले का निर्माण कार्य(विस्तृत आगणन) (EDPR-11751)	1.000	91.76	0.10
	योग-	2.250	146.90	0.20

2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तों के अधीन होंगी:

(₹ बीस हजार मात्र)

- डी०वी०सी०/वी०सी० का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि: मार्ग की ज्यामितियों एवं सवग्रेड को विशिष्टियों के अनुसार प्राप्त कर लिया गया है
- मार्ग के ड्रेनेज प्लान बनाकर अधिशासी अभियन्ता, मार्गों पर समुचित ड्रेनेज के सम्बन्ध में

किया जायेगा।

- xx. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xxi. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28-03-2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 के संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 तथा निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा।
- 4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/436092/2026, दिनांक-28.09.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 29-09-2026
10:31:35

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

संख्या एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लो.नि.वि., हरिद्वार।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., रुड़की।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अपर सचिव।

- संतुष्ट हो लें।
- iii. कार्यों की डी0एल0पी0 अवधि समाप्त होने के बाद इनको नियमानुसार ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 - iv. नाले के निर्माण से पूर्व ढाल डिजायन के अनुसार सुनिश्चित करने हेतु समुचित अन्तराल पर टी0बी0एम0 एवं लेविक पिलर्स बनाये जाये।
 - v. नाले में Peak Runoff Discharge करने तथा भूजल के पुर्नभरण हेतु समुचित स्थानों पर IRCSP-50-2013(Guidelines on Urban Drainage) के अनुसार Ground Water Recharge Pit/Infiltration Pit का निर्माण किया जाय।
 - vi. नाले का निर्माण इसके Tail की ओर से किया जाय।
 - vii. कार्यस्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय-समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी गंस्था द्वारा संरक्षित रखा जाय।
 - viii. सड़क भागों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/276791/2025 ई०पत्रावली संख्या- 23430 {15 (सामान्य)/2022} दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाय।
 - ix. विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरें, जो शैड्यूल आफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
 - x. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-149101/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा, अर्थात् दोहराव की स्थिति नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाये।
 - xi. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किए जाने वाले अनुबंध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारिणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किए जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 - xii. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitble आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
 - xiii. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
 - xiv. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
 - xv. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
 - xvi. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
 - xvii. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
 - xviii. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्च्योरमेन्ट रूल्स-2025 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 - xix. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31-03-2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027)

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/436354/2026

अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26100220004

आवंटन पत्र दिनांक-01-OCT-2026

लेखा शीर्षक 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय
337-सड़क निर्माण कार्य
02-नये निर्माण कार्य

04-जिला तथा अन्य सड़के

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग				
53-वृहद निर्माण		5270000		20000		0		5290000				
योग		5270000		20000		0		5290000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,000 (Rupees Twenty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
“नियोजन-1” उत्तराखण्ड देहरादून



(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, YAMUNA COLONY, DEHRADUN UTTARAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक-1255/20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1/2026,

दिनांक-06 October 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, दि० वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अधिसासी अभियन्ता, दि० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- आई०टी० सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून